निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 155 / 2024
दायरा दिनांकः—05.11.2024
निर्णय दिनांकः— 22.4.25

उनवान

1. शिवचरण पुत्र बृजमोहन जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
2. राजेश उर्फ राजनारायण पुत्र बृजमोहन जाति कुमावत निवासी ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
2. श्रीमान जिला कलक्टर मोहदय बारां जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88,89,91,आर0 टी0 एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः— 22.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नंबर 36 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम वजीरपुरा तहसील छबड़ा में स्थित है। भूमि वादीगण द्वारा दिनांक 19.05.1994 जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज खातेदारी हजारी व कन्हैयालाल से खरीद की थी व कब्जा प्राप्त किया था। तब से आज तक वादीगण का कबजा काश्त चला आ रहा है। यह खरीदते समय खाते में हजारी, कन्हैया, केसरी के नाम खाते दर्ज थी। केसरीबाई, हजारी व कन्हैया की सगी बहिन थी और उसका स्वर्गवास हो चुका था। लेकिन खाते में से नाम नहीं हटा था। केसरीबाई की मृत्यु के कारण केसरीबाई के खाते की जमीन के अधिकारी हजारी व कन्हैया हो गए थे। जिसका हवाला रजिस्ट्री में दिया गया है अर्थात केसरीबाई का स्वर्गवास रजिस्ट्री करवाने से पूर्व हो चुका था। इस रजिस्ट्री के आधार पर इंतकाल नंबर 158 वादीगण के नाम खोल दिया गया। जिससे समस्त भूमि वादीगण के खाते लगाने का इंतकाल खोला गया। जिसमें भी केसरी के फोत होने का विवरण दिया गया है। रेवेन्यू कर्मचारियों की गलती के कारण जमाबंदी में से केसरी का नाम नहीं हटाया गया। वर्तमान में भी वादीगण के साथ केसरी का नाम भी दर्ज है। जबकि केसरी को मरे हुए लगभग 34—35 साल हो चुके हैं। खाते में नाम रखने की गलती रेवेन्यू कर्मचारियों से सहवन से हुई है। जबकि समस्त भूमि का इंतकाल वादीगण के नाम खुल चुका

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

था। इंतकाल खुलने के बाद खाते में से हजारी व कन्हैयालाल का नाम तो हटा दिया। लेकिन केसरी का नाम नहीं हटाया तथा वादीगण का नाम दर्ज कर दिया। लेकिन केसरीबाई का नाम बदस्तुर खाते में चला आ रहा है। जो रेवेन्यू कर्मचारियों की गलती के कारण ही खाते में आ रहा है। केसरीबाई का नाम खाते से हटाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। मुताबिक इंतकाल के खाते से केसरीबाई का हटाने का निवेदन रेवेन्यू कर्मचारियों से किया। लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों ने केसरीबाई का नाम खाते से नहीं हटाकर कानूनी भूल की है। केसरीबाई का नाम नहीं हटाने से वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार छबड़ा व जिला कलक्टर बारां को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20.08.2024 को दिलाया गया। जिसका दो माह का समय पूर्ण होने के पश्चात भी तहसीलदार छबड़ा द्वारा केसरीबाई का नाम खाते में से नहीं हटाया।वादीगण केसरीबाई का नाम खाते में से नाम हटवाने के अधिकारी है। जिससे अपनी जमीनों में विकास कर सके व बैंक से लोन ले सके। वाद पेश करने का कारण प्रथम बार इंतकाल खुलने व रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा केसरीबाई का नाम नहीं हटाने से उत्पन्न हुआ। अंतिम रूप से वाद कारण दिनांक 20.08.2024 को नोटिस देने और नोटिस प्राप्त होने एवं नोटिस की गियाद पूरी होने पर भी केसरीबाई का नहीं हटाने पर वाद कारण अंतिम रूप से उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण पैराकार सरकार की ओर से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1994 नकल नामान्तरण संख्या 158 ग्राम वजीरपुरा नकल जमाबन्दी ग्राम वजीरपुरा सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 83 फोटो प्रति आधार कार्ड शिवचरण मूल निवास प्रमाण पत्र राकेश उर्फ राजनारायण आधार कार्ड राजनारायण ग्राम पंचायत गगचाना का प्रमाण पत्र पेश किया। साक्ष्य वादी में राजेश उर्फ राजनारायण के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम वजीरपुरा तहसील छबडा में स्थित है। वादीगण ने दिनांक 19.05.1994 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा हजारीलाल व कन्हैयालाल से भूमि क्रय की थी। तथा कब्जा प्राप्त किया था। तब से आज तक लगातार वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि क्रय करतें समय हजारी कन्हैयालाल व केसरी बाई के नाम खाते में दर्ज थे। केसरी बाई हजारी कन्हैयालाल की सगी बहिन थी केसरी बाई का स्वर्गवास हो गया है केसरी बाई का नाम अभी खाते में दर्ज है केसरी बाई के मरने के बाद उनके खाते की भूमि के हकदार हजारी व कन्हैयालाल है जिसका हवाला रजिस्ट्री में दिया गया है। रजिस्ट्री के आधार पर इन्तकाल संख्या 158 वादी के नाम खोल दिया था। जमाबन्दी में से केसरी बाई का नाम नही हटाया गया वर्तमान में वादीगण के नाम के साथ केसरीबाई का नाम शामलाती खाते में दर्ज है केसरी बाई को मरे हुए लगभग 34-35 साल हो गयें है। समस्त भूनि का नामान्तरण वादीगण के नाम खुल चुका था। नामान्तरण के आधार पर जमाबन्दी में क्रेता का नाम दर्ज किया उस समय केसरी बाई का भी नाम दर्ज कर दिया। वादीगण केसरी बाई का नाम खाते से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हटवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर केसरी बाई का नाम खाते से हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम वजीरपुरा में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2079 से स्थायी खाता संख्या 83 खसरा नम्बर 36 रकबा 1.2393 है0 में केसरी पुत्री बदरा हिस्सा 1/4 जाति कुमरावत, राजेश, शिवचरण पुत्र बृजमोहन हिस्सा 3/4 जाति कुमरावत सा0 गगचाना के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है राजस्व ग्राम वजीरपुरा के नामान्तरण संख्या 158 से जर्ये बेचान से हजारी, कन्हैयालाल पुत्र बदरा रूपा पुत्री बदरा कोम कुमरावत सा0देह गगचाना के स्थान पर शिवचरण, राजेश पुत्र बृजमोहन हिस्सा 3/4 में नाम दर्ज हुआ। राजस्व रिकार्ड की जॉच करने पर नामान्तरण संख्या 158 में दर्ज पूर्व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्री में दर्शाया गया है कि केसरी बाई एवं केसरी का पिता लाऔलाद फोत हो चुका है परन्तु तत्कालीन पटवारी द्वारा जानकारी करने पर केसरी का फोत होना पाया गया किन्तु लाओलाद फोत होना सन्देह जनक पाया गया। उक्त विक्रय पत्र केसरी पुत्री बदरा के फोत होने के उपरान्त कराई गई परन्तु केसरी का विरासत का नामान्तरण नही खुलवाया गया। मृतक केसरी का नाम छोडतें हुए बेचान का नामान्तरण तत्कालीन पटवारी द्वारा खोला गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम वजीरपुरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 83 में केसरी पुत्री बदरा हिस्सा 1/4 राजेश पुत्र बृजमोहन हिस्सा 3/8 शिवचरण पुत्र बृजमोहन हिस्सा 3/8 दर्ज विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1994 के अनुसार हजारी, कन्हैयालाल पुत्र बदरा जाति कुमरावत निवासी गगचाना द्वारा खसरा नम्बर 36 रकबा 4.18 बीघा का बेचान शिवचरण, राजेश पुत्र बृजमोहन जाति कुमरावत निवासी ग्राम उदपुरिया को 55000/– में बेचान किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना के प्रमाण पत्र में केसरी के कोई सन्तान नही होना बताया है मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार हजारी व कन्हैयालाल, रूपा द्वारा भूमि का बेचान किया गया था। केसरी एवं उसका पति फोत होने के बाद उनके वारिसान के नामान्तरण तस्दीक होना चाहियें था एवं उसके बाद विधिवत बेचान किया जा सकता था। चूंकि राजस्व टीम द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरकरण में त्रुटि नही की गई है तथा केसरी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का बेचान वैध नही माना जा सकता इस आधार पर वाद में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुज्ञेय नही होने के कारण वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 155/2024	धारा ,88,89,91 आर टी एक्ट 136 एल.आर.एक्ट	निर्णय दिनांकः–
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री नारायणलाल चौरसिया		अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. शिवचरण पुत्र बृजमोहन जाति कुमावत निवासी उदपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
2. राजेश उर्फ राजनारायण पुत्र बृजमोहन जाति कुमावत निवासी ग्राम उदपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
2. श्रीमान जिला कलक्टर मोहदय बारां जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.04.2025 को निर्गत किया गया।

छबड़ा जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		